रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—22 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—22

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122022-241400
CG-DL-E-24122022-241400

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 29] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 24, 2022/पौष 3, 1944 (शक)
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 24, 2022/PAUSA 3, 1944 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
## (Legislative Department)

*New Delhi, the 24th December,* 2022/*Pausa* 3, 1944 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 24th December, 2022 and is hereby published for general information:—

# THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) ORDERS (SECOND AMENDMENT) ACT, 2022

No. 20 of 2022

[24*th December*, 2022.]

An Act further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967.

Be it enacted by Parliament in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

**1.** This Act may be called the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Act, 2022. Short title.

Definitions.

**2.** In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Scheduled Castes Order" means the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950; C.O. 19.

(*b*) "Scheduled Tribes Order" means the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967. C.O. 78.

Amendment of Scheduled Castes Order.

**3.** The Scheduled Castes Order is hereby amended in the manner and to the extent specified in the First Schedule.

Amendment of Scheduled Tribes Order.

**4.** The Scheduled Tribes Order is hereby amended in the manner and to the extent specified in the Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(*See* section 3)

In the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 (C.O. 19), in the Schedule, in PART XVIII.—*Uttar Pradesh*, in entry 36, for the words "Mirzapur and Sonbhadra", the words "Mirzapur, Sonbhadra, Sant Kabir Nagar, Kushinagar, Chandauli and Bhadohi" shall be substituted.

THE SECOND SCHEDULE

(*See* section 4)

In the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967 (C.O. 78), in the Schedule, in entry 6, for the words "Mirzapur and Sonbhadra", the words "Mirzapur, Sonbhadra, Sant Kabir Nagar, Kushinagar, Chandauli and Bhadohi" shall be substituted.

DR. REETA VASISHTA,
*Secretary to the Govt. of India.*

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054.

JAGANATHAN ANANTHA KUMAR

MGIPMRND—2087GI(S3)—24.12.2022.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰—221 REGISTERED NO. D.—221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102024-258345
CG-DL-E-30102024-258345

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2 — अनुभाग 1क
PART II — Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 3 नई दिल्ली, गुरूवार, 30 मई, 2024/9 ज्येष्ठ, 1946 (शक) खंड LX
No. 3 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 30, 2024/JYAISHTHA 9, 1946 (SAKA) VOL. LX

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## विधि और न्याय मंत्रालय

### (विधायी विभाग)

**नई दिल्ली, 30 मई, 2024/9 ज्येष्ठ, 1946 (शक)**

दि नेशनल कमीशन फार हैम्योपैथी ऐक्ट, 2020; (2) दि नेशनल बैंक फार फाइनेंशिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवेलपमेंट ऐक्ट, 2021; (3) दि नेशनल इंस्टीट्यूट्स आफ फूड टैक्नोलोजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट ऐक्ट 2021; (4) दि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (अमेंडमेंट) ऐक्ट 2021; (5) दि डेम सेफ्टी ऐक्ट 2021; (6) दि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दि कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एंड दि कंपनी सेक्रेट्रीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2022; (7) दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर्स (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2022; (8) दि न्यू दिल्ली इन्टरनेशनल आर्बिट्रेशन सेन्टर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2022; (9) दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2022; (10) दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (फोर्थ अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2022; और (11) दि फाइनेंस ऐक्ट, 2023 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे :—

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

### (Legislative Department)

*New Delhi, May* 30, 2024/*Jyaishtha* 9, 1946 (*Saka*)

The Translation in Hindi of the following, namely:— The National Commission For Homoeopathy Act, 2020 (2) The National Bank For Financing Infrastructure And Development Act, 2021; (3) The National Institutes Of Food Technology, Entrepreneurship And Management Act, 2021; (4) The Limited Liability Partnership (Amendment) Act, 2021; (5) The Dam Safety Act, 2021; (6) The Chartered Accounts, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Act, 2022; (7) The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Act, 2022; (8) The New Delhi International Arbitration Centre (Amendment) Act, 2022; (9) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Act, 2022; (10) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Act, 2022; and (11) The Finance Act, 2023 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

पृष्ठ

राष्ट्रीय हाम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
The National Commission For Homoeopathy Act, 2020

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 17) . . . . . . . . . 571
The National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 19) . . . . . . 601
The National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Act, 2021

सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 31) . . . . . . . . . . . . . . . 619
The Limited, Liability Partnership (Amendment) Act, 2021

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635
The Dam Safety Act, 2021

चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663
The Chartered Accountants, The Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Act, 2022

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 . . . . . 713
अधिनियम संख्यांक 20)
The Constitution (Scheduled Castes and Schedule Tribes) Orders (Second Amendment) Act, 2022

नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 23) . . . . . . . 717
The New Delhi International Arbitration Centre (Amendment) Act, 2022

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2022 (2023 का अधिनियम संख्यांक 1) . . 721
The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Act, 2022

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2022 (2023 का अधिनियम संख्यांक 2) . . 723
The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Act, 2022

वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725
The Finance Act, 2023

# संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2022

**(2022 का अधिनियम संख्यांक 20)**

**[24 दिसम्बर, 2022]**

**संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम**

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**1.** इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2022 है । संक्षिप्त नाम ।

**2.** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

(क) "अनुसूचित जातियां आदेश" से संविधान (अनुसूचित जातियां)
स0 आ0 19 आदेश, 1950 अभिप्रेत है;

(ख) "अनुसूचित जनजातियां आदेश" से संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर
सं0 आ0 78 प्रदेश) आदेश, 1967 अभिप्रेत है ।

अनुसूचित जातियां आदेश का संशोधन ।

**3.** अनुसूचित जातियां आदेश का पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में और परिमाण तक संशोधन किया जाता है ।

अनुसूचित जनजातियां आदेश का संशोधन ।

**4.** अनुसूचित जनजातियां आदेश का दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में और परिमाण तक संशोधन किया जाता है ।

## पहली अनुसूची

**(धारा 3 देखिए)**

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 (सं.आ.19) की अनुसूची के भाग 18—उत्तर प्रदेश की प्रविष्टि 36 में, "मिर्जापुर और सोनभद्र" शब्दों के स्थान पर "मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही" शब्द रखे जाएंगे ।

## दूसरी अनुसूची

**(धारा 4 देखिए)**

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 (सं.आ. 78) की अनुसूची की प्रविष्टि 6 में, "मिर्जापुर और सोनभद्र" शब्दों के स्थान पर "मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही" शब्द रखे जाएंगे ।